Helpline 1064

94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **भरतपुर में तहसीलदार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *19 मई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी भरतपुर इकाई द्वारा आज डीग में कार्यवाही करते हुये अशोक कुमार शाह तहसीलदार, प्रकाश सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, तहसील डीग, जिला भरतपुर को उनके दलाल कृष्ण कुमार जाट (प्राईवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से **5 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके संशोधित पेंशन प्रकरण की फाईल में एतराज पूर्ति कर भिजवाने की एवज में अशोक कुमार शाह तहसीलदार, तहसील डीग, जिला भरतपुर द्वारा 5 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भरतपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश मीणा** के द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी तहसीलदार अशोक कुमार शाह के कहने पर रिश्वत राशि **5 हजार रूपये** दलाल कृष्ण कुमार जाट पुत्र श्री प्रेमसिंह जाट निवासी बरौली चौथ, पुलिस थाना सदर डीग, जिला भरतपुर (प्राईवेट व्यक्ति) को दिलवाई गई। आरोपी दलाल कृष्ण कुमार जाट द्वारा उक्त रिश्वत राशि प्रकाश सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह जाट निवासी खांगरी, पुलिस थाना नदबई, जिला भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, तहसील डीग, भरतपुर को दी, जिसपर उक्त दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोपी अशोक कुमार शाह पुत्र श्री लक्ष्मीचंद जैन निवासी सरकारी हास्पिटल के सामने, बागीदौरा, पुलिस थाना कालिंजरा, जिला बांसवाड़ा हाल तहसीलदार, तहसील डीग, जिला भरतपुर को भी गिरफ्तार किया गया है।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।